LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS
Thursday, 05 April 2018 / 15 Chaitra, 1940 (*Saka*)
2.00 PM

1. **Special Mention (Rule-280) :**
   The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair :
   1. Smt. Bandana Kumari
   2. Shri Jarnail Singh
   3. Ms. Bhawna Gaur
   4. Shri Anil Kumar Bajpai
   5. Shri Om Prakash Sharma
   6. Shri Pankaj Pushkar
   7. Shri Ram Chander
   8. Shri Girish Soni
   9. Shri Sukhbir Singh Dalal
   10. Shri Akhilesh Pati Tripathi
2. **Discussion on Outcome Report of Office of Hon'ble Lieutenant Governor :**
   The House to discuss the Outcome Report pertaining to the Office of Hon'ble Lieutenant Governor presented by **Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** on 04 April 2018.
3. **Calling Attention (Rule-54) :**
   Shri Avtar Singh Kalkaji
   To call the attention of the **Hon'ble Minister of Urban Development** towards *'proposed move of South Delhi Municipal Corporation to handover Purnima Sethi Super Specialty Hospital to private entities.'*
4. **Government Resolution (Rule-90)** :
   Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare to move the following Resolution under Rule-90 :
   "The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in its sitting held on 05 April 2018 resolves:
   That having noted with deep anguish that SC/STs who make up 30 Crore of the country's 130 Crore population and are a key demographic group in several states received a severe blow by the verdict pronounced by the Hon'ble Supreme Court on 20th March which has diluted the provisions of SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 meant to protect the community against discrimation and harassment;
   That the primary grouse of the community against the Court's order was banning of the automatic arrest of the accused in cases under the Act and making preliminary enquiry mandatory before registration of a case and prior sanction for arrest;
   That being adversely affected and aggrieved, SC/ST organizations from all parts of the country launched peaceful agitation to lodge their protest against the verdict and called for a Bharat Bandh on 2nd April. It is matter of grief and agony that BJP leadership and RSS elements in many states instigated the miscreants which resulted in brutal killing of many innocent SC/STs.
   Further, having noted with great shock and sorrow that most of the incidents of violent clashes, killings, stone-pelting, firing, blocking of road and rail traffic, causing damage to properties took place in the BJP ruled states, this House resolves that :
   A thorough investigation into the acts of violence, killing of innocent SC/STs and peaceful protestors be immediately ordered by the Central Government. The investigation be assigned to a Special Investigation Team (SIT) and the investigation be completed within one month from the date of assignment.
   Further, this House also resolves that all those found involved in heinous crimes and violent acts against SC/STs including daring and brutal killing in the investigation must be tried and awarded suitable punishment as per the law of the land."
5. **Short Duration Discussion (Rule-55) :**
   I. **Shri Sanjeev Jha**
   Shri Saurabh Bharadwaj
   Ms. Bhawna Gaur
   To initiate discussion on *'Report of Delhi Dialogue Commission (DDC) on Airport Express Metro Line (DAEML) project'*.
   II. **Shri Amanatullah Khan**
   Shri Praveen Kumar
   Shri Nitin Tyagi
   To initiate discussion on *'Alleged attempts to incite communal disturbances on the pretext of Ramnavami procession'*.

III. **Ms. Alka Lamba**
Shri Ajay Dutt
Shri Pankaj Pushkar
To initiate discussion on *'Situation arising out of the provisions of the National Medical Council Bill which are allegedly against the medical profession and general public.'*

IV. **Shri Vijender Gupta**
Shri Manjinder Singh Sirsa
Shri Jagdish Pradhan
To initiate discussion on *'Providing basic civic amenities like Flats, Water, Ration Card etc. to Jhuggi Jhopri dwellers'.*

Delhi **C. Velmurugan**
05 April 2018 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्यसूची
वीरवार, 05 अप्रैल, 2018 / चैत्र 15, 1940 (शक)
2.00 बजे अपराह्न

1. **विशेष उल्लेख (नियम–280) :** सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगेः–

1. श्रीमती बंदना कुमारी	6. श्री पंकज पुष्कर
2. श्री जरनैल सिंह	7. श्री रामचन्द्र
3. सुश्री भावना गौड़	8. श्री गिरीश सोनी
4. श्री अनिल कुमार बाजपेयी	9. श्री सुखबीर सिंह दलाल
5. श्री ओमप्रकाश शर्मा	10. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

2. **माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा :**
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को प्रस्तुत माननीय उप राज्यपाल महोदय के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होगी।

3. **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**
श्री अवतार सिंह कालकाजी
"दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को प्राइवेट प्रतिष्ठानों को सौंपने की प्रस्तावित योजना" के संबध में **माननीय शहरी विकास मंत्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. **सरकारी संकल्प (नियम–90) :**
श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री नियम–90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे
''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है किः
तीव्र वेदना के साथ यह गौर करते हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, जो देश की 130 करोड़ आबादी का 30 करोड़ भाग है और कई राज्यों में प्रमुख जनसांख्यिकीय समूह हैं, इन्हें दिनांक 20 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से कठोर आघात पहुंचा है, जिससे भेदभाव और उत्पीड़न से समुदाय की रक्षा करने के लिए बनाये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के प्रावधान कमजोर हो गये हैं।
यह कि, न्यायालय के फैसले के विरूद्ध समुदाय की प्रमुख शिकायत थी – अधिनियम के तहत मामलों मे अभियुक्त की स्वतः गिरफ़्तारी पर रोक लगाना और केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच को अनिवार्य बनाना और गिरफ़्तारी की पूर्व अनुमति लेना,
यह कि, प्रतिकूल ढंग से प्रभावित और दुखी होकर, देश के सभी भागों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों ने फैसले का विरोध प्रकट करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया और 02 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया। यह दुख और यंत्रणा का विषय है कि कई राज्यों मे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के तत्वों ने फसादियों को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनेक निर्दोष लोग मारे गये।
यह भी अत्यधिक क्षोभ और व्यथा के साथ गौर करते हुए कि हिंसक झड़प, हत्या, पथराव, आगजनी, सड़क और रेल यातायात बाधित करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अधिकांश घटनायें भाजपा शासित राज्यों मे हुई,
यह सदन संकल्प करता है किः
हिंसा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्दोष लोगों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के मामलों की केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल गहन जांच के आदेश दिये जायें। जांच किसी विशेष जांच टीम (एस. आई.टी) को सौंपी जाये और जांच सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर पूरी कर ली जाये।
इसके अतिरिक्त, यह सदन संकल्प करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध जघन्य अपराधों और दुस्साहसिक तथा नृशंस हत्याओं सहित हिंसक कृत्यों मे शामिल पाये जाने वाले सभी लोगों पर मुकद्दमा चलाया जाये और उन्हें कानून के तहत उचित सजा दी जाये।''

5. **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**

i) **श्री संजीव झा**
श्री सौरभ भारद्वाज
सुश्री भावना गौड़

"एयरपोर्ट एक्सप्रेस मैट्रो लाईन (डी.ए.ई.एम.एल) परियोजना पर दिल्ली डॉयलाग कमीशन की रिपोर्ट" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

ii) **श्री अमानातुल्लाह खां**
श्री प्रवीण कुमार
श्री नितिन त्यागी

"रामनवमी जुलूस के बहाने कथित सांप्रदायिक उपद्रव भड़काने के प्रयास" के संबध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

iii) **सुश्री अलका लाम्बा**
श्री अजय दत्त
श्री पंकज पुष्कर

"कथित रूप से चिकित्सा व्यवसाय तथा आम जनता के विरूद्ध राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद् विधेयक के प्रावधानो से उत्पन्न स्थिति" के संबध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

iv) **श्री विजेन्द्र गुप्ता**
श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
श्री जगदीष प्रधान

"झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधायें जैसे फ्लैट, पानी, राशन कार्ड इत्यादि उपलब्ध करवाने" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

दिल्ली **सी. वेलमुरूगन**
05 अप्रैल, 2018 **सचिव**